न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन, जिला बाडमेर

क्रमांक/रीडर/2017/1720 दिनांक 15/7/17

प्रेषित :—

तहसीलदार सेड़वा

विषय :— राजस्व आवेदन सं. 199/2017 अन्तर्गत धारा 131, 136 भू.रा.अ. अनवान साल्या तहसीलदार वगैरा में निर्णय की पालना बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उपरोक्त आवेदन में न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.06.17 की प्रमाणित प्रति अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर 15 दिवस में पालना रिपोर्ट पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. **199/2017**

पीठासीन अधिकारी –श्री भागीरथराम, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 131,136 RLR Act

प्रार्थीनी – **1. साल्या पुत्री सलाम पत्नि जूणस, जाति मुसलमान निवासी रबासर, तहसील सेड़वा।**

बनाम

विप्रार्थीगण – **1. तहसीलदार सेड़वा।**

अधिवक्तागण – प्रार्थीनी वकील – **श्री फताराम गोदारा**
विप्रार्थीगण वकील –

निर्णय

दिनांक :– 29.06.2017

प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा रबासर में प्रार्थीनी के पिता स्व. सलाम व माता राबी की खातेदारी का खेत खसरा सं. 92 रकबा 78.08 बीघा, खसरा सं. 93 रकबा 110.06 बीघा, खसरा सं. 136 रकबा 59.09 बीघा, कुल रकबा 248.13 बीघा के आये हुये थे। प्रार्थीनी के पिता की फौतगी का नामान्तरकरण सं.152 दिनांक 25.01.2007 को तहसीलदार चौहटन व माता की फौतगी का नामान्तकरण सं. 920 दिनांक 20.03.2013 को ग्राम पंचायत रबासर द्वारा प्रार्थीनी के नाम पारित किये गये। नामान्तरकरण सं. 920, 152 में प्रार्थीनी का नाम साल्या पुत्री सलाम अंकित किया गया। प्रार्थीनी इसमें अपने पति का नाम अंकित करवाना चाहती है। तथा मौजा रबासर के खसरा सं. 94 रकबा 102.18 बीघा भूमि प्रार्थीनी के पति उमर पुत्र हुसैन के नाम दर्ज था। प्रार्थीनी के पति उमर का देहान्त हो जाने पर फौतगी नामान्तरकरण सं. 321 दिनांक 25.07. 1984 को ग्राम पंचायत आलमसर द्वारा प्रार्थीनी के पक्ष में पारित किया गया। प्रार्थीनी के पति उमर का देहान्त हो जाने पर प्रार्थीनी का पुनःविवाह जुणस पुत्र हुसैन के साथ किया । इसलिए प्रार्थीनी उपरोक्त वादग्रस्त खसरा सं. 92 रकबा 78.08 बीघा तथा खसरा सं. 93 रकबा 110.06 बीघा, खसरा सं. 136 रकबा 59.09 बीघा, कुल रकबा 248.13 बीघा में प्रार्थीनी का नाम साल्या पुत्री सलाम पत्नि जुणस तथा खसरा सं. 94 रकबा 102.18 बीघा में प्रार्थीनी के पति का नाम उमर के फौत हाने पर पुनःविवाह से नये पति जुणस का नाम अंकित करवाना चाहती है। जिसे हेतु आवेदन पेश कर इस्तदुआ चाही गई है।

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

प्रार्थीनी का आवेदन दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार को उपरोक्त वादग्रस्त के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु लिखा गया। तहसीलदार द्वारा उपरोक्त वादग्रस्त के संबंध में अपनी रिपोर्ट पेश की। पत्रावली लोक अदालत कोर्ट कैम्प बींजासर में पेश हुई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन अवलोकन किया गया । पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट का अध्ययन अवलोकन किया गया। जिसे स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त खसरा सं. 92 रकबा 78.08 बीघा तथा खसरा सं. 93 रकबा 110.06 बीघा, खसरा सं. 136 रकबा 59.09 बीघा, कुल रकबा 248.13 बीघा में प्रार्थीनी का नाम साल्या पुत्री सलाम पत्नि जुणस तथा खसरा सं. 94 रकबा 102.18 बीघा में प्रार्थीनी के पति का नाम उमर के फौत हाने पर पुनःविवाह से नये पति जुणस का नाम अंकित किया जाना न्यायोचित रहेगा। आवेदन स्वीकार करने योग्य है।

अतः प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 रा.भू.रा. अधिनियम का स्वीकार किया जाकर उपरोक्त वादग्रस्त मौजा रबासर के खसरा सं. 92 रकबा 78.08 बीघा तथा खसरा सं. 93 रकबा 110.06 बीघा, खसरा सं. 136 रकबा 59.09 बीघा, कुल रकबा 248.13 बीघा में प्रार्थीनी का नाम साल्या पुत्री सलाम पत्नि जुणस तथा खसरा सं. 94 रकबा 102.18 बीघा में प्रार्थीनी के पति का नाम उमर के फौत हाने पर पुनःविवाह से नये पति जुणस का नाम दुरस्त करने आदेश दिया जाता है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। तहसीलदार को उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2017 कोर्ट कैम्प बींजासर में दिनांक 29.06.2017 को में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन